भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3038
जिसका उत्तर 21 दिसंबर, 2023 को दिया गया

बायोमास पेलेट के प्रयोग हेतु कीमत विनियमन नीति

3038. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण अनुकूल ईंधन की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बायोमास पेलेट के लिए अधिक सुदृढ़ बाजार को बढ़ावा देने और कच्चे बायोमास की अस्थिर कीमतों को स्थिर करने में मदद करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमास पेलेट के लिए मूल्य विनियमन नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अधिक संगठित और न्यायसंगत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार स्थापित करने, सतत ऊर्जा विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : संधारणीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने और विकसित करने की दृष्टि से और साथ ही साथ ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ को-फायरिंग के लिए बायोमास पेलेटों की तेजी से खरीद सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा दिनांक 23.08.2023 और दिनांक 08.11.2023 को नॉन-टॉरीफाइड बायोमास पेलेटों के लिए बेंचमार्क मूल्य जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), उत्तरी क्षेत्र (एनसीआर को छोड़कर) और पश्चिमी क्षेत्र के लिए बेंचमार्क कीमतें क्रमशः 2.32 रुपये, 2.27 रुपये और 2.24 रुपये प्रति 1000 किलो कैलोरी (पेलेट विनिर्माण संयंत्र स्थल से ताप विद्युत संयंत्र तक परिवहन लागत एवं जीएसटी को छोड़कर) तय की गई हैं। इससे बाजार में कच्चे बायोमास की कीमतों में भी स्थिरता आएगी।

(ग) : सरकार ने देश में सतत ऊर्जा विकास, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने और अधिक संगठित एवं न्यायसंगत नवीकरणीय ऊर्जा बाजार स्थापित करने के लिए आवश्यकतानुसार, समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है:

i. विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन) नियम, 2022 जारी किए गए

हैं और खुली पहुंच की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है, जिससे छोटे उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है।

ii. "केंद्रीय पूल के लिए एकसमान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ" के कार्यान्वयन के लिए विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं।

iii. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के आदेश के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, आरई क्षमता अभिवर्धन बढ़ाने और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 'नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण विद्युत के साथ बंडलिंग के माध्यम से ताप/जल विद्युत केंद्रों के उत्पादन और शेड्यूलिंग में लचीलेपन' के लिए संशोधित स्कीम जारी की।

iv. देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सौर, पवन, हाइड्रो-पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी), और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) से उत्पादित विद्युत के लिए एक निश्चित अवधि के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण (आईएसटीएस) प्रभारों से छूट प्रदान की गई है।

v. सरकार ने दिनांक 20 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं सहित सभी नामित उपभोक्ताओं को, अधिसूचना में उल्लिखित ट्रेजेक्ट्री के अनुसार, अपनी विद्युत खपत के एक विशिष्ट हिस्से को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्थापित करने के लिए अनिवार्य किया है।

vi. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 27 फरवरी, 2023 के आदेश के अंतर्गत यह अनिवार्य किया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद वाणिज्यिक संचालन शुरू करने वाले किसी भी कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केंद्र को निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार अपनी ताप विद्युत क्षमता के न्यूनतम चालीस प्रतिशत (40%) के समतुल्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करनी होगी या ऐसी क्षमता के समतुल्य नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करनी होगी।

vii. सरकार ने अधिक मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समायोजित करने और विद्युत बाजारों के गहन होने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए रियल-टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम), और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) की शुरुआत की है।

viii. वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री निर्दिष्ट की गई है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक प्रावधान पेश किए गए हैं। दायित्व से परे खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, व्यापार योग्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं।

****